अध्याय XVII

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर अनुवर्ती कार्रवाई

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएण्डएजी) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पीएसयूज़ के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों में अनुरक्षित लेखाओं और अभिलेखों के प्रारम्भिक निरीक्षण से प्रारम्भ करते हुए संवीक्षा की प्रक्रिया के चरम बिन्दु को प्रदर्शित करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर व्यवस्थापकों से समुचित और समय से उत्तर प्राप्त हों।

लोकसभा सचिवालय ने संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे गए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में समावेशित विभिन्न पैराग्राफों/मूल्यांकनों पर उनके द्वारा की गई उपचारी/सुधारक कार्रवाई को दर्शाते हुए समस्त मंत्रालयों को (लेखापरीक्षा द्वारा उचित रूप से पुनरीक्षित) टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया (जुलाई 1985)। ये टिप्पणियां विस्तृत जांच हेतु सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति (सीओपीयू) द्वारा न चुने गए पैराग्राफों/मूल्यांकनों के सम्बन्ध में भी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित थी। सीओपीयू ने अपने द्वितीय प्रतिवेदन (1998-99-बारहवीं लोक सभा) में उपर्युक्त अनुदेशों को दोहराते समय सिफारिश की कि:

- व्यक्तिगत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) के सम्बन्ध में कार्रवाई टिप्पणियों (एटीएन) प्रस्तुतीकरण का मानीटर करने हेतु प्रत्येक मंत्रालय में एक मानीटरिंग सेल की स्थापना करना।

- विभिन्न मंत्रालयों के अन्तर्गत पीएसयूज की संख्या से संबंधित पैराओं को समावेशित करने वाले प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में एटीएन के प्रस्तुतीकरण का मानीटर करने के लिए लोक उद्यम विभाग (डीपीई) में एक मानीटरिंग सेल की स्थापना करना ; और

- प्रासंगिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तिथि से छः माह के अन्दर समिति को संसद को प्रस्तुत किए गए सीएण्डएजी के समस्त प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा उचित रूप से पुनरीक्षित अनुवर्ती एटीएन का प्रस्तुतीकरण।

उपर्युक्त सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करते समय सीओपीयू ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (1999-2000-तेरहवीं लोक सभा) में अपनी प्रारम्भिक सिफारिशों को दोहराया कि डीपीई को अलग-अलग उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में समावेशित अभ्युक्तियों पर अनेक मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई उपचारी कार्रवाई को मानीटर करने के लिए अपने स्वयं के डीपीई में एक पृथक मानीटरिंग सेल की स्थापना करनी चाहिए। तदनुसार सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा एटीएन के प्रस्तुतीकरण पर आगे की कार्रवाई मानीटर करने के लिए अगस्त 2000 से डीपीई में एक मानीटरिंग सेल कार्य कर रहा है। सीएण्डएजी के विभिन्न

प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर एटीएन के प्रस्तुतीकरण के लिए सम्बन्धित मंत्रालयों के अन्दर मानीटरिंग सेलों की भी स्थापना की गई है।

इसके अतिरिक्त, सीओएस की हाल ही की बैठक (जून 2010) में सीएजी लेखापरीक्षा पैराओं तथा पीएसी की सिफारिशों पर लम्बित एटीएन/एटीआर को अगले तीन महीने के अन्दर पूरा करने के लिए विशेष प्रयास करने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय को सम्प्रेषित करते समय (जुलाई 2010), वित्त मंत्रालय ने भविष्य में कार्रवाई शीघ्र करने के लिए संस्थागत तंत्र की सिफारिश की।

लेखापरीक्षा में की गई एक समीक्षा से पता चला कि अनुस्मारकों के बावजूद विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पीएसयूस से सम्बन्धित विगत पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में समावेशित संव्यवहार लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफों/समीक्षाओं पर उपचारी/सुधारक एटीएन जैसा कि ***परिशिष्ट-III*** में ब्यौरा दिया गया है, समीक्षा के लिए लेखापरीक्षा द्वारा प्राप्त नहीं किए गए थे। 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में समावेशित क्रमशः 9, 6,10,15 और 17 संव्यवहार लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफों/समीक्षाओं के संबंध में कोई एटीएन प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त मार्च से सितम्बर 2011 के दौरान संसद में प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निहित 51 संव्यवहार लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ/समीक्षाएं भी प्रतीक्षित थी।

108 पैराओं/समीक्षाओं जिन पर एटीएन प्रतीक्षित थे, में से 21 पैराग्राफ वित्त मंत्रालय (बैंकिग एवं बीमा डिवीज़न) के अधीन पीएसयूज़ से संबंधित थे, 16 पैराग्राफ संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित थे, 7 पैराग्राफ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन पीएसयूज़ से संबंधित थे, तथा 7 पैराग्राफ भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय से संबंधित थे।

अ. कु. पटनायक

नई दिल्ली **(ए.के. पटनायक)**
दिनांकः 1 अगस्त, 2012 **उपनियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं**
अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली (विनोद राय)
दिनांक: 1 अगस्त, 2012 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**